



# संतकबीरनगर पुलिस



जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 11-07-2021

आज दिनांक 11.07.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डा0 कौरस्तुभ के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

## 1200 ग्राम अवैध गाँजा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा एक अभियुक्त नाम पता अशीष गुप्ता उर्फ गचई पुत्र श्रीराम गुप्ता निवासी ग्राम तेली टोला, मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को बहदग्राम कबीर चौरा स्थल के दक्षिणी गेट स्थित सार्वजनिक सुलभ शौचालय के पास से 1200 ग्राम अवैध गाँजे के साथ गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 463 / 2021 धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

बरामदगी का विवरण- 1200 ग्राम अवैध गाँजा ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री हरिनारायण दीक्षित (प्रभारी चौकी मगहर), हे0का0 आनन्द दुबे, कां0 विष्णु भगवान गौंड ।



@santkabirnapol



Pro Cell Santkabirnagar

सोशल मीडिया सेल  
संतकबीरनगर



## संतकबीरनगर पुलिस



सार्वजनिक जुआ अधिनियम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा 03 अभियुक्त गिरफ्तार,  
5210 रुपये नकद व ताश के 52 पत्ते बरामद

थाना बखिरा पुलिस द्वारा हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 03 अभियुक्तगण नाम पता 1 – राजीव जयसवाल पुत्र अशोक जयसवाल 2 – मंजय पुत्र रामचन्द्र निवासीगण बखिरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर 3 – कन्हैयालाल पुत्र कपिल निवासी मेड़रापार थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को 3500 रुपये मालफड़, 1710 रुपये जामा तलाशी व ताश के 52 पत्तों के साथ गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 194 / 2021 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- कां0 मुन्नेलाल गुप्ता, कां0 आदित्य सिंह, कां0 मंजीत यादव, कां0 आदर्श गिरी।

### 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 10 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता कन्हैया पुत्र राममूरत निवासी जमोरिया खुर्द थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना मेहदावल पर मु0अ0सं0 173 / 2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री सौरभ मिश्रा ( प्रभारी चौकी विसौवा), हे0कां0 अजय शर्मा, हे0कां0 रामदुलारे यादव

### आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 01 अदद अवैध चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 01 अदद अवैध चाकू के साथ अभियुक्त नाम पता पिण्टू पुत्र स्व0 ज्ञाने निवासी घूरूपाली थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना मेहदावल पर मु0अ0सं0 172 / 2021 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 जुबेर अली, हे0कां0 बीरेन्द्र तिवारी।



@santkabirnapol



Pro Cell Santkabirnapol

सोशल मीडिया सेल

संतकबीरनगर



## संतकबीरनगर पुलिस



### शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 25 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

### पीआरवी आफ द डे

**पीआरवी 1489 द्वारा जहर खाये व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल** – पीआरवी 1489 को थाना महली क्षेत्रांतर्गत गौरा से इवेन्ट संख्या 01273 से कालर ने एक व्यक्ति ( सूरज पाण्डेय पुत्र अश्वनी पाण्डेय ) द्वारा जहर खाने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 09 मिनट में पहुंचकर जहर खाये व्यक्ति को एम्बुलेंस 108 से प्रा0 स्वा0 केन्द्र नाथनगर भेजवाया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर जहर खाये व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचायी गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

**पीआरवी स्टाफ** –आ0 अमरजीत चौहान, आ0 संतोष चौहान, हो0चा0 रामप्रकाश पाण्डेय ।

### मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 13 वाहनो से 10500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 11.07.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 13 वाहनो से 10500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।